राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक:अधि–क–2/(से0वि0सं0)/2011–1627 दिनांक 02/9/2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली,1984 में मा0 परिषद द्वारा समय–समय पर आवश्यकताओं के दृष्टिगत सेवा नियमावली में संशोधन हेतु प्रस्ताव पारित किये गये हैं, जिसमें से कतिपय प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त सेवा विनियमावली में सम्मिलित कर लिये गये हैं तथा कई प्रस्ताव आज भी सेवा विनियमावली का अंग नहीं बन पाये हैं। अधिकारी/कर्मचारी के सेवा संवर्गो के द्वारा वर्तमान परिदृश्यों के अनुसार सेवा विनियमावली में संशोधन का अनुरोध किया जा रहा है। अतएव मा0 परिषद द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुये एवं सेवा संवर्गो में वर्तमान परिदृश्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप संशोधनों को समाहित करते हुये तथा सेवा नियमावली में अबतक हुये समस्त संशोधनों को सम्मिलित करते हुये सेवा विनियमावली, 2011 संकलित एवं संशोधित तैयार की गयी है।

उपरोक्तानुसार तैयार करायी गयी सेवा विनियमावली,2011 का प्रस्तावित आलेख सभी कर्मचारियों/अधिकारियों/संगठनों के अवलोकनार्थ इस आशय से सार्वजनिक किया जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी/संगठन को उक्त सेवा विनियमावली के किसी प्राविधान पर कोई आपत्ति/सुझाव है तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव दिनॉक 20.09.2011 तक लिखित रूप में सम्बन्धित साक्ष्यों/ अभिलेखों के साथ श्री राम केवल, उपनिदेशक(प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को आवश्यक परिक्षणोंपरान्त प्रभावशाली पारदर्शी, सुव्यवस्थित सेवा नियमावली में सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक ।

पृष्ठाकंनः संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. केयर टेकर, मण्डी परिषद मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे मण्डी परिषद मुख्यालय के सभी सूचना बोर्डो पर उपरोक्त की फोटो प्रतियॉ कराकर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. कार्यालय ज्ञाप की प्रति समस्त कर्मचारी संगठनों को इस आशय से प्रेषित है कि सूचना पट पर प्रकाशित सेवा नियमावली का अवलोकन कर अपनी आपत्तियॉ/सुझाव उपरोक्त तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मण्डी परिषद मुख्यालय को आलेख की एक प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि मण्डी परिषद के बेवसाइड पर डाउनलोड कराकर आपत्ति/ सुझाव आमन्त्रित कर प्रस्तुत करें।

अपर निदेशक(प्रशा0)
30.08.11

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) नियमावली, 1984

{उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26–भ के अधीन}

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1)विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) संशोधित विनियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें – इस विनियमावली में –

(क) "अपर निदेशक", संयुक्त निदेशक, उप निदेशक" (प्रशासन/विपणन) और प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य मण्डियों के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) और प्रशासनिक अधिकारी से है,

(ख) "परिषद" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 26–क के अधीन गठित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद से है,

(ग) "वर्ग" का तात्पर्य विनियम 5 में निर्दिष्ट पदों के वर्ग से है,

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य मण्डी निदेशक से है,

(ङ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विनियम 5 में उल्लिखित वर्ग क,ख,ग और घ में पूर्णकालिक आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर या अन्य प्रकार से सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर, कार्य प्रभरित अंशकालिक आधार पर एवं संविदा के आधार पर सेवायोजित व्यक्ति नहीं है,

(च) "वेतन" का तात्पर्य परिषद के किसी कर्मचारी द्वारा धनराशि से है और इसके अन्तर्गत उसका –

(एक) मूल वेतन भी है जो उसे उसके द्वारा मासिक रूप से या अस्थायी या स्थानापन्न रूप में वृत्त पद के लिए स्वीकृत किया गया है,

(दो) विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और वैयक्तिक वेतन भी है,

(तीन) कोई अन्य परिलब्धि या भत्ता भी है जिसे परिषद द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाये, किन्तु इसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता, अतिकाल भत्ता, यात्रा भत्ता, सरकारी भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता,-मकान किराया भत्ता, धुलाई भत्ता या इसी तरह का अन्य भत्ता नहीं है,

(छ) "सेवा" का तात्पर्य परिषद के अधीन सेवा से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति— का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस विनियमावली के अनुसार सम्यक चयन प्रकिया के तहत की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3. लागू होना– (1) उपविनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह विनियमावली ऐसे समस्त कर्मचारियों पर लागू होगी जो परिषद की सेवा में हों।

(2) ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर, संविदा पर हों अपने प्रतिनियुक्ति या संविदा के निबन्धों और शर्तो द्वारा नियन्त्रित होयें।

(3) यह नियमावली मण्डी परिषद सेवा संवर्गों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी नियमावलियों (संशोधनों सहित), आदेशों एवं निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए प्रभावी रहेगी।

(4) इस नियमावली के पूर्व मा0 मण्डी परिषद द्वारा मण्डी परिषद की सेवा संवर्गों से सम्बन्धित पारित सभी प्रस्ताव जिनकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गयी है, निरस्त माने जायेंगे।

अध्याय–2

(4) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या–

(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या और वेतनमान ऐसे होगें जैसे परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

किन्तु वेतनमान ऐसे होंगे, जैसे समय–समय पर वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(2) जब तक कि परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की वर्तमान संख्या और वेतनमान उतने होगें जितने इस विनियमावली के परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

परन्तु,

(क) नियुक्ति अधिकारी किसी रिक्त पद या किन्ही रिक्त पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या परिषद उसे स्थगित रख सकती है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर या अन्य प्रतितोष का हकदार नहीं होगा,

(ख) परिषद समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जिसे आवश्यक समझा जाये और वर्तमान पदों का नाम बदल सकती है।

अध्याय–3

भर्ती की सामान्य शर्त

5. पदों का वर्गीकरण – परिषद के अधीन पदों को, नियुक्ति नियन्त्रण और अनुशासन इत्यादि के प्रयोजनों के लिए वेतनमानों के अनुसार वर्ग क,ख,ग और घ में वर्गीकृत किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के अधीन समय–समय पर प्रवृत्त पदों का वर्गीकरण है।

6. आयु – सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा वही होगी जैसा परिशिष्ट "ख" में है। यदि परिशिष्ट "ख" में किसी पद के लिए आयु सीमा अंकित नहीं है तो उसमें आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए विहित है।

परन्तु परिषद के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

7. अर्हतायें– सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें, अधिमानी अर्हतायें और अनुभव वही होगा जैसा परिशिष्ट "ख" में है।

8. राष्ट्रियता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक प्रास्थिति एवं आरक्षण– राष्ट्रियता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक प्रास्थिति और विभिन्न वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियम, जो राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए लागू होते हैं, परिषद के अधीन भर्ती के लिए लागू होगें।

अध्याय–4

भर्ती और नियुक्ति

9. नियुक्ति प्राधिकारी– नीचे दी गयी सारिणी के स्तम्भ 1 में दिखाये गये प्राधिकारी या अधिकारी, सारणी के स्तम्भ–2 में दिखाये गये पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी होगें –

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
1. परिषद	– निदेशक और अपर निदेशक को छोड़कर वर्ग "क" के समस्त पद।
2. निदेशक	– वर्ग "ख" के समस्त पद।
3. अपर निदेशक	– वर्ग "ग" के समस्त पद।
4. उप निदेशक(प्रशासन)	– वर्ग "घ" के समस्त पद।

10. **भर्ती के स्त्रोत**– (1) भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी–

(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) परिषद के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर व्यक्तियों को लेकर

परन्तु निदेशक, अपर निदेशक, वित्त नियंत्रक और संयुक्त निदेशक के पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेगें।

टिप्पणी– निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वर्तमान का एक अधिकारी होगा, जबकि अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के क्रमशः उच्चतर वेतनमान एवं विशेष वेतनमान का अधिकारी होगा, वित्त नियंत्रक, राज्य वित्त सेवा का विशेष वेतनमान का अधिकारी होगा।

(2) 1(क) निदेशक, अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों को छोड़कर वर्ग 'क' के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें, और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति एवं पदोन्नति द्वारा नीचे यथा संसूचित रूप से भरे जायेंगे –

1. सीधी भर्ती द्वारा 01 पद पर।
2. राज्य सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) से 08 पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
3. मण्डी सचिव संवर्ग से 08 पदों का चयन वरिष्ठता के आधार पर।
4. विपणन अधिकारी संवर्ग से 03 पदों का चयन वरिष्ठता के आधार पर।

2(ख) वर्ग "ख" में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि सहायक अभियन्ता संवर्ग के सम्बन्ध में पदोन्नति कोटा में से 8.33 प्रतिशत अभियन्त्रण उपाधि रखते हों या इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) के एसोसियेट मेम्बर हों, भरे जायेगें।

(ग) वर्ग "ग" में निम्नतम् श्रेणी में 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत पद वर्ग "घ" से पदोन्नति द्वारा एवं 5 प्रतिशत पद वर्ग "घ" के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(घ) वर्ग "ग" में निम्नवत् श्रेणी से अधिक के वेतनमान में समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें।

(ङ) वर्ग 'घ' में समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों से भरे जायेगें, जो साइकिल चलाना जानते हों परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी।

(3) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित किसी पद को परिषद के विवेकानुसार व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जा सकता है।

(4) पदोन्नति एक ही समूह के पदों तक जैसा कि परिशिष्ट "ग" में विस्तार से वर्णित है, के अनुसार होगी और विभिन्न पदों पर, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तो के अधीन होगी।

11. चयन समिति -- (1) वर्ग 'क' और 'ख' के पदों पर भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे --

(एक) उप सचिव के पद से अन्यून दो अधिकारी, जिन्हे सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा,

(दो) उप निदेशक के पद से अन्यून तीन अधिकारी, जिन्हे निदेशक द्वारा नाम निदिष्ट किया जायेगा,

(तीन) चयन समिति का अध्यक्ष, जिसे सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग द्वारा खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों पर भर्ती के लिए, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा, चयन समिति में निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट, अध्यक्ष सहित तीन अधिकारी होगें।

12. सीधी भर्ती द्वारा चयन-- (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ग क, ख, ग और घ में, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

(2) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियॉं निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी --

(1) ऐसे कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक प्रसार हो, विज्ञापन जारी करके,

(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो -- दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और

(3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियॉं अधिसूचित करके।

(3) उपविनियम (2) के अधीन दिये गये विज्ञापन के अनुसरण में अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर या सेवायोजन कार्यालय से नाम प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी चयन के लिए कोई दिनॉंक नियत करेगा और आवेदन पत्र और नाम चयन समिति को अग्रसारित करेगा।

(4) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। समिति विनियम 8 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलायेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय एवं वर्णनात्मक प्रकृति की होगी। चयन समिति रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलायेगी । लिखित परीक्षा के विषयों एवं अंकों तथा साक्षात्कार के अंकों का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी, जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाये, किन्तु किसी भी मामले में एक रिक्ति के लिए 05 अभ्यर्थियों से अधिक नहीं होगी।

वर्ग ग और घ के पदों के लिए चयन की स्थिति में, राज्य सरकार के अधीन इन वर्गो के पदों पर नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। समिति अभ्यर्थियों की, योग्यता-क्रम में, जैसा परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनका नाम उनकी आयु के आधार पर रखेगी। अधिक आयु वाले व्यक्ति को पहले रखा जायेगा।

(4)(क) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक पद हेतु निम्नलिखित प्रश्न पत्रों में, जिनके अंक प्रत्येक के सामने दर्शाये गये हैं, एक लिखित परीक्षा होगी–

प्रश्न पत्र	अंक
(एक) हिन्दी से उर्दू में अनुवाद	100
(दो) उर्दू से हिन्दी अनुवाद	100
(तीन) हिन्दी निबन्ध	50

चयन समिति उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य उर्दू और हिन्दी भाषा में दक्ष किसी व्यक्ति को सौंपेगी।

चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत अनधिक) होगी।

परन्तु इस उपनियम के अधीन तैयार की गयी सूची में किसी अभ्यर्थी को तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह हिन्दी निबन्ध में 33 प्रतिशत अंक न प्राप्त करे। चयन विनियम–11 के अधीन गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(5) ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिए विनियन 8 के अधीन रिक्तियाँ आरक्षित करना अपेक्षित है, उनकी परस्पर योजना के अनुसार, जैसा कि उनके नाम द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक पृथक सूची में रखे जायेगें।

(6) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की, जिनके लिए चयन किया गया हो, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से)अधिक नहीं होगी।

(7) उपर्युक्त उपविनियम (4) और (5) के अधीन तैयार की गयी सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंकों का उल्लेख होगा। सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार, एक सामान्य सूची में, विनियम 8 के अनुसार आरक्षित पदों का सम्यक ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।

13. पदोन्नति द्वारा चयन– (1) पदोन्नति के लिए चयन विनियम 11 के अधीन गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा चयन के मापदण्ड–अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता–क्रम में पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिका और सम्बन्धित अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपविनियन (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

14. यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी जिसमें विनियम 12 और 13 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिए जायेंगे कि सीधी और पदोन्नति का विहित प्रतिशत बना रहे। पहला नाम विनियम 13 के अधीन तैयार की गई सूची से होगा।

अध्याय 5

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

15. नियुक्ति– (1) विनियम 12ए 13 और 14 के अधीन तैयार की गयी सूची उसके अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। मौलिक रिक्तियॉं होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉं उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम इस सूची में हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियॉं कर सकता है।

(3) इस विनियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस विनियमावली के प्राख्यापन के पूर्व नियमित चयन के परिणामस्वरूप परिषद के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों पर की गयी नियुक्ति इस विनियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगी।

16. **परिवीक्षा**– (1) परिषद के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त या पदोन्नति अभ्यर्थी, मौलिक रिक्ति में किसी पद पर नियुक्त होने पर पद कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनॉक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक वह बढ़ायी जाये।

(3) यदि परिवीक्षा – अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा–अवधि के दौरान या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे, यथास्थिति, सेवा–मुक्त किया जा सकता है या उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) केअधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या उसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद, स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की गणना परिवीक्षा–अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

17. **स्थायीकरण**– परिषद के अधीन किसी पद पर सीधे नियुक्त या पदोन्नति किये गये किसी कर्मचारी को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाई गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

18. **ज्येष्ठता**– (1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में किसी प्रवर्ग या श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनॉक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश रखे गये हों, अवधारित की जायेगी,

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनॉक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनॉक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनॉक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारली किये जाने के दिनॉक से होगा।

(2) एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी है।

(4) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये, वहॉ उनकी परस्पर ज्येष्ठता विनियम 14 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसी रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहे, चकानुकम में, उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी।

अध्याय–6

अधिवर्षिता, वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें

19. **अधिवर्षिता**– (1) परिषद के किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष या ऐसी आयु होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय–समय पर विहित की जाये। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, कोई कर्मचारी परिषद की सेवा से नहीं रह जायेगा जब तक कि परिषद उसकी सेवायोजन की अवधि न बढ़ाये जो किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) भले ही कोई कर्मचारी किसी दिनॉक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करे, वह उस मास के जिसमें वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिनॉक को सेवानिवृत्त होगा।

1[(3) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, परिषद के किसी कर्मचारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर कोई कारण बताये बिना उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है या ऐसा कर्मचारी 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या अपनी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी।

2 **स्पष्टीकरण** – उप–नियम (3) के अधीन कार्यवाही करने के लिए समय–समय पर यथा संशोधित, फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश सरकार फण्डामेन्टल रूल्स के फण्डामेन्टल 56 के खण्ड (सी) जिसके अन्तर्गत (उसका स्पष्टीकरण भी है) और ऐसे अन्य नियमों, विनियमों अनुदेशों के उपबन्ध जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू हो, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

20. **भर्ती होने पर वेतन**– (1) सीधे भर्ती किया गया कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से पद के सम्बन्ध में लागू न्यूनतम् वेतन और भत्ता या उसके लिए नियुक्ति–पत्र में इंगित वेतन और भत्ता पाना प्रारम्भ कर देगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में, जो निम्न श्रेणी से पदोन्नत करके नियुक्त किये जायेगें उनका वेतन फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड दो भाग दो से चार में निहित उपबन्धों के अनुसार नियत किया जायेगा।

(3) ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में, जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिये जायें उनका वेतन वही होगा जो परिषद और सरकार के बीच तय हो।

(4) ऐसे कर्मचारी की स्थिति में, जो संविदा पर रखे गये हों, उनका वेतन परिषद और सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच की गई संविदा की शर्तो के अनुसार नियत किया जायेगा।

(5) अन्य परिलब्धयॉ जैसे विशेष वेतन, स्नातकोत्तर वेतन आदि का भुगतान, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड–दो, भाग–दो से चार में निहित नियमों और ऐसे अन्य अनुदेशों के जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें, ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्तिगत मामले गुणावगुण के आधार पर परिषद द्वारा किया जायेगा।

21. **वार्षिक वेतन वृद्धि**– (1) कर्मचारी को वार्षिक वेतन–वृद्धि पूरे एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर उस वेतन के समय–मान में जिसमें वह नियुक्त किया गया हो, से दी जायेगी बशर्ते उसकी वेतन–वृद्धि अनुशासनिक उपाय के रूप में रोकी न गई हो या उसे दक्षता रोक पर रोक न लिया गया हो।

(2) किसी कर्मचारी को समय–मान में वेतनवृद्धि उस मास के जिसमें वह देय हो, प्रथम दिनॉक को स्वीकृत की जायेगी।

(3) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी करने पर, समय–मान में उसकी वेतन–वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकेगी।

परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाये तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(4) ऐसे कर्मचारी की जो असाधारण छुट्टी पर रहे, वेतन–वृद्धि का दिनॉक तदनुरूप आगे बढ़ा दिया जायेगा और ऐसी छुट्टी की अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

22 **दक्षता रोक पर करना**– किसी कर्मचारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाये कि वह दक्षतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य कर रहा है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

23. मंहगाई भत्ता– परिषद समय–समय पर विभिन्न वर्गों और प्रवर्गों के कर्मचारियों को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दर और धनराशि विनिश्चित कर सकती है।

24. अन्य भत्ता – परिषद ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह विनिर्दिष्ट करे और अन्य भत्तों और सुख–सुविधाओं जैसे नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं आदि का विनिश्चिय और उनकी स्वीकृति का विनियमन कर सकती है।

25. सेवा निवृत्ति लाभ– (1) परिषद के किसी कर्मचारी को कोई पेंशन देय नहीं होगी।

(2) परिषद के अधीन कार्यरत, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सामान्य भविष्य–निधि नियमावली के, जो उन पर लागू हों, उपबन्धों के अनुसार भविष्य–निधि में अंशदान करेगें।

(3) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपदान का भुगतान किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, उपदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सामान्य निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सीमा के भीतर, परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये सामान्य निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सीमा के भीतर, परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये विनिश्चयों द्वारा विनियमित होगा।

26. छुट्टी– परिषद के निर्देशों के अधीन रहते हुए, परिषद के कर्मचारियों को छुट्टी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकृत की जायेगी।

अध्याय–7

प्रकीर्ण

27. आचरण– राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

28. नियन्त्रण और अपील– राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू रूल्स रिलेटिंग टू डिसिप्लनरी प्रोसीडिंग्स, अपील्स एण्ड रिप्रजेन्टेशन अगेन्स्ट पनिश्मेन्ट परिषद के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होयें।

29. अन्य विषयों का विनियन– (1) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, परिषद की सेवा में नियुक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) ऐसे विषयों, जो इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आते हों या विनिर्दिष्ट रूप के अन्तर्गत आने वाले समझें जायें, के सम्बन्ध में अन्य ब्योरों और अतिरिक्त उपबन्धों के लिए जो इस विनियमावली या अन्य विशेष आदेशों में न दिये गये हों, परिषद की सेवा में नियुक्त व्यक्ति उ0प्र0 राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्तया लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

30. शिथिलता– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहॉं परिषद का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले विनियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉं पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, उस विनियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परिशिष्ट –क

विनियम–4 देखिये–(मण्डी परिषद में स्वीकृत पदों ,वेतनमानों एवं ग्रेड वेतन का विवरण)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1	निदेशक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान का अधिकारी		1
2	अपर निदेशक	प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का उच्चतर वेतनमान का अधिकारी		1
3	संयुक्त निदेशक	प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का विशेष वेतनमान का अधिकारी		1
4	वित्त नियंत्रक	प्रदेश वित्त सेवा का विशेष वेतनमान का अधिकारी		1
5	मुख्य अभियन्ता	37400-67000	8700	1
6	अपर मुख्य अभियन्ता	37400-67000	8700	1
7	मुख्य लेखाधिकारी	15600-39100	7600	1
8	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600-39100	7600	4
9	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0)	15600-39100	7600	1
10	उप निदेशक (प्र0/वि0)	15600-39100	6600	20
11	अधिशाषी अभियन्ता(सिविल)	15600-39100	6600	37
12	अधिशाषी अभियन्ता (वि0/यॉ0)	15600-39100	6600	4
13	उपनिदेशक (मार्केट/सर्वे)	15600-39100	6600	1
14	उपनिदेशक (विधि)	15600-39100	6600	1
15	सिस्टम मैनेजर	15600-39100	6600	1
16	वरिष्ठ लेखाधिकारी/सम्प्रेक्षाधिकारी	15600-39100	6600	2
17	प्रचार अधिकारी	15600-39100	5400	1
18	प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100	5400	2
19	लेखाधिकारी/सम्प्रेक्षाधिकारी	15600-39100	5400	34
20	विधि अधिकारी	15600-39100	5400	2
21	विशेष कार्याधिकारी –विधि	15600-39100	5400	1
22	जन सम्पर्क अधिकारी	15600-39100	5400	1

परिशिष्ट –क

विनियम–4 देखिये–(मण्डी परिषद में स्वीकृत पदों ,वेतनमानों एवं ग्रेड वेतन का विवरण)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
23	मुख्य स्वागत अधिकारी	15600-39100	5400	1
24	अनुश्रवण/सांख्यकीय अधिकारी	15600-39100	5400	2
25	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600-39100	5400	100
26	सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)	15600-39100	5400	29
27	सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रानिक्स)	15600-39100	5400	1
28	सांख्यकीय अधिकारी/तकनीकी अधिकारी	15600-39100	5400	4
29	सहायक वास्तुविद/सहायक नगर योजनाकार	15600-39100	5400	2
30	प्रोगामर	15600-39100	5400	2
31	विपणन अधिकारी	15600-39100	5400	6
32	सुरक्षाधिकारी	9300-34800	5400	1
33	संगणक	9300-34800	4200	26
34	सांख्यकीय संगणक/तकनीकी सहायक	9300-34800	4200	22
35	अपर सांख्यकीय अधिकारी/अपर अनुश्रवण अधिकारी/अपर तकनीकी अधिकारी	9300-34800	4600	8
36	वास्तुविद सहायक	9300-34800	4200	2
37	वरिष्ठ सहायक	9300-34800	4200	96
38	अनुभाग अधिकारी	9300-34800	4600	29
39	सहायक विधि अधिकारी	9300-34800	4600	2
40	निजी सचिव	9300-34800	4600	10
41.	लेखाकार/सम्प्रेक्षक	9300-34800	4200	49
42	सहायक लेखाधिकारी/सम्प्रेक्षाधिकारी	9300-34800	4600	39
43	अवर अभियन्ता (सिविल)	5200-20200	2800	300
44	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0)	5200-20200	2800	40
45	नक्शा नवीश	5200-20200	1800	32
46	विधि सहायक	9300-34800	4200	5

परिशिष्ट –क

विनियम–4 देखिये–(मण्डी परिषद में स्वीकृत पदों ,वेतनमानों एवं ग्रेड वेतन का विवरण)

क0सं0	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
47	कम्प्यूटर आपरेटर	5200-20200	2800	6
48	लिपिक एवं टंकक	5200-20200	2400	193
49	आशुलिपिक	5200-20200	2800	45
50	लेखा लिपिक	5200-20200	2400	80
51	वाहन चालक	5200-20200	1900	63
52	उर्दू अनुवादक/सह कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900	11
53	रोड रोलर चालक	5200-20200	1900	3
54	इलक्ट्रिशियन/पम्प आपरेटर	5200-20200	1900	1
55	टेलीफोन आपरेटर	5200-20200	2400	4
56	दफतरी	5200-20200	1800	5
57	मशीन मैन	5200-20200	1800	1
58	ब्लू प्रिन्टर	5200-20200	1800	4
59	चपरासी/चौकीदार	5200-20200	1800	145
60	माली	5200-20200	1800	2
61	सुरक्षा गार्ड	5200-20200	1800	1
62	रोड रोलर क्लीनर	5200-20200	1800	3
63	सफाईकार	5200-20200	1800	10
64	फर्राश	5200-20200	1800	2

कुल स्वीकृत पदों की संख्या **1,506**

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

क्रमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
1	उपनिदेशक(प्रशासन/ विपणन)	1	21 वर्ष	35 वर्ष	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विदयालय से कृषि विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि और कृषि व्यवसाय में या कृषि निर्यात में या किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी निकाय में रू0 8000–13500 के वेतनमान में 08 वर्ष का कार्यकारी अनुभव होना अनिवार्य है।	परन्तु अन्य बातों के समान होते हुए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विदयालय से कषि विज्ञान र कृषि विपणन या कृषि व्यवसाय में एम0बी0ए0 या परास्नातक या कृषि विपणन प्रबन्धन या कृषि व्य य में परास्नातक डिप्लोमा धारक को अधिमान दि जायेगा।
2	प्रोग्रामर	2	21 वर्ष	35 वर्ष	1.किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि या डी0ओ0ई0 'ए' स्तर प्रमाण–पत्र सहित स्नातक उपाधि। 2. डास/यूनिक्स/ विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में सी/सी–फाक्स प्रो आरडीवीएमएस जैसे ओरेकल/इनग्रेस/ साइबेस, डीबी/2 आदि साफ्टवेयर डेवलमेन्ट का अच्छा ज्ञान। 3. किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। 4. आफिस ओटोमेशन पैकेजेज एवं इन्टरनेट का पूर्ण ज्ञान।	अनुभवी व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

कमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
3	विधि अधिकारी	1	21 वर्ष	35 वर्ष	विधि स्नातक, बार काउन्सिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त सम्बन्धित बार कांउन्सिल अथवा सम्बद्ध बार एसेसिएशन में रजिस्ट्रेशन एव बार काउन्सिल/ बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त/ प्रमाणित दो वर्ष की प्रैक्टिस के अनभव का प्रमाण पत्र।	—
4	विपणन अधिकारी	3	21 वर्ष	35 वर्ष	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विदयालय से कृषि विज्ञान या अर्थशास्त्र वाणिज्य में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि अनिवार्य है।	परन्तु अन्य बातों के समान होते हुए विधि द्वारा स्थापित विश्व विदयालय से कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र या कषि विपणन या कृषि व्यवसाय में एम0बी0ए0 या कृषि विपणन प्रबन्धन या कृषि व्यवसाय में परा स्नातक डिप्लोमा धारक को अधि दिया जायेगा।
5	प्रचार अधिकारी	1	21 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विदयालय से स्नातक की उपाधि एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव	सूचना विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट तथा जर्नलिज्म में डिप्लोमा को अधिमान दिया जायेगा।
6	सहायक अभियन्ता(सिविल)	50	21 वर्ष	35 वर्ष	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिये।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि सेवा की हो। या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

कमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
7	सहायक अभियन्ता(वि0/यॉ0)	14	21 वर्ष	35 वर्ष	सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से विदयुत या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिये।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि सेवा की हो। या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
8	सहायक अभियन्ता(इलेक्ट्रानिक्स)	1	21 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स व कम्यूनिकेशन इन्जीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि सेवा की हो। या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
9	अवर अभियन्ता(सिविल)	300	18 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा।	–
10	अवर अभियन्ता(वि0/यॉ0)	40	18 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से विदयुत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा।	–

<u>परिशिष्ट –ख</u>

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

क्रमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
11	वाहन चालक	63	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध व्यावसायिक लाइसेंस रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो तथा गाड़ी चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो।	—
12	लिपिक एवं टंकक	154	21 वर्ष	35 वर्ष	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट टंकक की गति होनी चाहिए।	—

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

क्रमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
13	आशुलिपिक	45	21 वर्ष	35 वर्ष	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।	–
14	लेखालिपिक	80	21 वर्ष	35 वर्ष	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ लेखाशास्त्र के साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र होना चाहिए।	–
15	सांख्यिकी संगणक	22	21 वर्ष	35 वर्ष	एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान या कला में स्नातक के साथ सांख्यिकी कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव	–
16	सहायक वस्तुविद	1	21 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से आर्कीटेक्ट इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि	–

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

क्रमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
17	कम्प्यूटर आपरेटर				1. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी0ओ0ई0 'ओ' स्तर प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट। 2. डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एस0एस0आफिस/लोटस/स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न साफ्टवेयरों में अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। 3. हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रतिमिनट की गति।	
18	वास्तुविद सहायक	2	18 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से आर्कीटेक्ट में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा	
19	संगणक	26	18 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा	—

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

कमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
20	नक्शानवीस	32	18 वर्ष	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से ड्राफटमैन में डिप्लोमा या सिविल, इंजीनियरिंग में आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र कोर्स या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा	—
21	ब्लू प्रिंटर	4	18 वर्ष	35 वर्ष	जैसा कि राजय सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस पद पर नियुक्ति के लिए विहित है।	—
22	रोड रोलर ड्राइवर	3	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी वाहन चलाने का वैध व्यावसायिक लाइसेंस रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो तथा भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो।	—
23	रोड रोलर क्लीनर	3	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ, हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।	—
24	दफ्तरी	5	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण हो, हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होने के साथ जिल्द साजी के कार्य का अनुभव हो।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

परिशिष्ट –ख

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं एवं पदों का विवरण

क्रमांक	सीधी भर्ती के पद का नाम	सीधी भर्ती के पदों की संख्या	भर्ती वर्ष में पहली जुलाई को आयु		भर्ती के वर्ष में पहली जुलाई को पद के लिए वांछित शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
			न्यूनतम	अधिकतम		
25	मशीन मैन	1	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी और अंग्रेजीका कार्यकारी ज्ञान।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
26	चपरासी/चौकीदार	145	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
27	माली	2	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान और बागवानी कार्य का अनुभव हो।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
28	सफाईकार	10	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान एवं अपने कार्य का अनुभव हो।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
29	फर्राश	2	18 वर्ष	35 वर्ष	कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण होने के साथ–साथ हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान एवं अपने कार्य का अनुभव हो।	जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

निर्माण–खण्ड

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	नक्शानवीस (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 1800) कुल पद–32	नक्शानवीस के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	संगणक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4200)	21
2	अवर अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 2800) कुल पद–300	अवर अभियन्ता (सिविल) के नियमित पद पर कम से कम 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	सहायक अभियन्ता 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	46
3	संगणक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4200) कुल पद–26	संगणक के नियमित पद पर कम से कम 07 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	सहायक अभियन्ता 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	4
4	सहायक अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400) कुल पद–100	सहायक अभियन्ता के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा	अधिषासी अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 6600)	32
5	अधिशाषी अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 6600) कुल पद–37	अधिशाषी अभियन्ता के नियमित पद पर कम से कम 09वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा	अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 7600)	4

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

निर्माण–खण्ड

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
6	अधीक्षण अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 7600) कुल पद–4	अधीक्षण अभियन्ता के नियमित पद पर कम से कम 09 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	अपर मुख्य अभियन्ता (वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे–रू0 8700)	1
7	अपर मुख्य अभियन्ता (वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे–रू0 8700) कुद पद–1	अपर मुख्य अभियन्ता के नियमित पद पर कम से कम 02 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	मुख्य अभियन्ता (वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे–रू0 8700)	1

परिशिष्ट –ग

सवर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

विद्युत/यॉत्रिक/इलेक्ट्रानिक्स संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 2800) कुल पद–40	अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) के नियमित पद पर कम से कम 07 वर्ष की अनवरतसंतोषजनक सेवा।	सहायक अभियन्ता(वि0/यॉ0) 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	46
2	सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0)/(इलेक्ट्रानिक्स) (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400) कुल पद–30	सहायक अभियन्ता (वि0यॉ)/(इलेक्ट्रानिक्स) के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	अधिशाषी अभियन्ता (वि0/यॉ0) (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 6600)	32
3	अधिशाषी अभियन्ता (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 6600) कुल पद–4	अधिशाषी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	अधीक्षण अभियन्ता(वि0/यॉ0) (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 7600)	4

नोटः सहायक अभियन्ता(वि0/यॉ0) के 40 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता(यॉत्रिक) में से उनके अपने संवर्ग संख्या के अनुपात में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

2. सहायक अभियन्ता(वि0/यॉ0) के 8.33 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता (विद्युत) और अवर अभियन्ता (यॉत्रिक) में से, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्त्रण या यांत्रिक अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो, जो विद्युत अभियन्त्रण शाखा या यांत्रिक अभियन्त्रण शाखा में इन्स्टीटयूशन्स आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर हों परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो रिक्तियॉ उपर्युक्त नोटः 01 में उल्लिखित स्रोत से भरी जा सकती हैं।

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

लेखा संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	लेखालिपिक (वेतनमान रू0 5200—20200 ग्रेड पे—रू0 2400) कुल पद—80	लेखालिपिक के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	लेखाकार (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड पे—रू0 4200)	49
2	लेखाकार (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड पे—रू0 4200) कुल पद—49	लेखाकार के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	सहायक लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड पे—रू0 4600)	39
3	सहायक लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड पे—रू0 4600)कुल पद—39	सहायक लेखाधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड पे—रू0 5400)	19
4	लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड पे—रू0 5400) कुल पद—34	लेखाधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड पे—रू0 6600)	2
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड पे—रू0 6600) कुल पद—2	वरिष्ठ लेखाधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 02 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	मुख्य लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 15600—39100 ग्रेड पे—रू0 7600)	1

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

लिपिक संवर्ग

क्रमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	लिपिक एवं टंकक (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 2400) कुल पद–93	लिपिक एवं टंकक के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4200)	96
2	वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4200) कुल पद–101	वरिष्ठ सहायक के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600)	30
3	अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600) कुल पद–31	अनुभाग अधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	1
4	अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600) कुल पद–31	अनुभाग अधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	विपणन अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	3
5	विपणन अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400) कुल पद–5	विपणन अधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) (वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे–रू0 6600)	3

परिशिष्ट –ग

सवर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

आशुलिपिक संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	आशुलिपिक (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 2800) कुल पद–45	आशुलिपिक के नियमित पद पर कम से कम 08 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	निजी सचिव (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600)	10
2	निजी सचिव (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600) कुल पद–10	निजी सचिव के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	जनसम्पर्क अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	1
3	निजी सचिव (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600) कुल पद–10	निजी सचिव के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	मुख्य स्वागत अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	1
4	निजी सचिव (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600)कुल पद–10	निजी सचिव के नियमित पद पर कम से कम 05 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	1

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या.

सॉंख्यिकीय संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	सॉंख्यिकीय संगणक/तकनीकी सहायक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे– रू0 4200) कुल पद–22	सॉंख्यिकीय संगणक/तकनीकी सहायक के नियमित पद पर कम से कम 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	अपर सॉंख्यिकीय अधिकारी/अपर तकनीकी अधिकारी/अपर अनुश्रवण अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे– रू0 4600)	8
2	अपर सॉंख्यिकीय अधिकारी/अपर तकनीकी अधिकारी/अपर अनुश्रवण अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे– रू0 4600) कुल पद–8	अपर सॉंख्यिकीय अधिकरी/अपर तकनीकी अधिकारी/अपर अनुश्रवण अधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 07 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	सॉंख्यिकीय अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे– रू0 5400)	4
3	सॉंख्यिकीय अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे– रू0 5400) कुल पद–4	सॉंख्यिकीय अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के नियमित पद पर कम से कम 07 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	उपनिदेशक(मार्केट/सर्वे) (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे– रू0 6600)	1

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

विधि संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	विधि सहायक (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4200) कुल पद–5	विधि सहायक के नियमित पद पर 06 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	सहायक विधि अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू0 4600)	2
2	सहायक विधि अधिकारी (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे– रू0 4600) कुल पद–2	सहायक विधि अधिकारी के नियमित पद पर 07 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	विधि अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400)	1
3	विधि अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे–रू0 5400) कुल पद–2	विधि अधिकारी के नियमित पद पर 07 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा।	उपनिदेशक(विधि)(वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे– रू0 6600)	1

परिशिष्ट –ग

सवंर्गवार पदोन्नति की पात्रता ,पदोन्नत पद एवं उनकी स्वीकृत संख्या

वास्तुविद संवर्ग

कमांक	पदनाम एवं वेतनमान	चयन के वर्ष के प्रथम दिवस को अर्हता	पदोन्नत पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पदों की स्वीकृत संख्या
1	वास्तुविद सहायक वेतनमान 9300—34800 ग्रेड पे—4200 कुल पद 2	वास्तुविद सहायक के नियमित पद पर कम से कम 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा	सहायक वास्तुविद/सहायक नगर योजनाकार वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 4200	2